रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2005/भाद्र 18, 1927
No. 954] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2005/BHADRA 18, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2005

(आयकर)

का.आ. 1258(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधाराओं (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2004 की भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 994(अ), में निम्नलिखित संशोधनं करता है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना में, संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 एवं उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्याओं एवं प्रविष्टियों से क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग
1	2	3	4	5
3.	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I) मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, एवं मध्य प्रदेश, दमन एवं दीव राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला ए से ई तक शुरू होते हैं तथा जिनका कर निर्धारण कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय वाले कर निर्धारणं अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाता है अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।
4.	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II) मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, एवं मध्य प्रदेश, दमन एवं दीव राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला एफ से पी तक शुरू होते हैं तथा जिनका कर निर्धारण कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाता है अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

1	2	3	4	5
5.	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III) मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र, गुजरात, एवं मध्य प्रदेश, दमन एवं दीव राज्यों की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग जिनके नाम वर्णमाला क्यू से जेड तक शुरू होते हैं तथा जिनका कर निर्धारण कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में उनके कार्यालय वाले कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाता है अथवा कर निर्धारण योग्य हैं।

[अधिसूचना सं. 196/2005/फा.सं. 187/11/2005-आ.क.नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव